दो रुपये TWO RUPEES दस रुपये TEN RUPEES INDIA एक रुपया ONE RUPEE
भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : / 2013–14 निगरानी – R 1491- PBR/14

श्री आर. एस. गौड़ अभिभाषक द्वारा दिनांक 12-5-14 को प्रस्तुत।

अवर सचिव 14/5/14

(आर एस. गौड़) 12/05/14

संतोष कुमार पुत्र श्री सोवरन सिंह, निवासी– रमटापुरा, खिड़की मौहल्ला, ग्वालियर

––आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. शांतिदेवी पत्नी स्व. श्री नारायण सिंह
3. कृष्णपाल सिंह पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
4. अजय पाल पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
5. विजय पाल पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
6. चन्द्रपाल पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
7. शिशुपाल पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह
8. कु. अनीता पुत्री स्व. श्री नारायण सिंह

   समस्त निवासीगणरमटापुरा, खिड़की मौहल्ला, ग्वालियर
9. राजाराम कुशवाह पुत्र स्व. श्री बोवदिया, निवासी– रमटापुरा, खिड़की मौहल्ला, ग्वालियर

––अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10/04/2014 पारित द्वारा श्री डी.डी. शर्मा तहसीलदार ग्वालियर प्रकरण क्र. /1899/2000/अ–6, जदीद नंबर–27/13–14/अ–6।

मानननीय महोदय,

Rs-1 su.

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1491–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–6–2014	आवेदक एवं शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–4–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है और प्रकरण दायरा अंक से कम होकर दाखिल रिकार्ड करने के आदेश दिये गये है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	